रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 248] नई दिल्ली, बुधवार, जून 8, 2005/ज्येष्ठ 18, 1927
No. 248] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 8, 2005/JYAISTHA 18, 1927

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2005

सा.का.नि. 379(अ).—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 36) की धारा 176 द्वारा सौंपी गई शक्तियों के प्रयोग में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः —

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ :**

(1) ये नियम विद्युत नियम, 2005 कहे जाएंगे।
(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. **परिभाषाएं :**

इन नियमों में जब तक परिप्रेक्ष्य अन्यथा अपेक्षा नहीं करे :

(क) **"अधिनियम"** का अर्थ विद्युत अधिनियम, 2003 है ;

(ख) यहां इसमें प्रयुक्त और अपरिभाषित परन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्ति का अर्थ उन्हें अधिनियम में दिया गया अर्थ होगा।

3. **कैप्टिव उत्पादक संयंत्र की आवश्यकताएं :**

(1) कोई भी विद्युत संयंत्र अधिनियम की धारा 2 के खंड (8) के साथ पठित धारा 9 के अधीन तब तक "कैप्टिव उत्पादक संयंत्र" के रूप में अर्हक नहीं होगा —

(क) विद्युत संयंत्र के मामले में ---

(i) स्वामित्व का कम-से-कम छब्बीस प्रतिशत कैप्टिव प्रयोक्ता (प्रयोक्ताओं) द्वारा धारित है, और

(ii) वार्षिक आधार पर निर्धारित ऐसे संयंत्र में उत्पादित कुल विद्युत के कम-से-कम इक्यावन प्रतिशत की खपत कैप्टिव प्रयोग के लिए की जाती है :

बशर्ते कि पंजीकृत सहकारी सोसायटी द्वारा स्थापित विद्युत संयंत्र के मामले में ऊपर पैराग्राफ (i) और (ii) के अधीन उल्लिखित शर्तों की पूर्ति सहकारी सोसायटी के सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से की जाएगी :

आगे बशर्ते कि व्यक्तियों के संघ के मामले में, कैप्टिव प्रयोक्ता (प्रयोक्तागण) संयंत्र में कुल कम-से-कम छब्बीस प्रतिशत का स्वामित्व धारित करेंगे और ऐसे कैप्टिव प्रयोक्ता (प्रयोक्तागण) दस प्रतिशत की भिन्नता के भीतर विद्युत संयंत्र के स्वामित्व में अपने हिस्से के समानुपात में वार्षिक आधार पर निर्धारित उत्पादित विद्युत के कम-से-कम इक्यावन प्रतिशत की खपत करेंगे ;

(ख) ऐसे उत्पादक स्टेशन के मामले में जिसका स्वामित्व ऐसे उत्पादक स्टेशन के लिए विशेष प्रयोजन साधन के रूप में गठित कंपनी द्वारा किया जाता है, कैप्टिव प्रयोग के लिए अभिज्ञात ऐसे उत्पादक स्टेशन की यूनिट अथवा यूनिटें निम्नलिखित सहित ऊपर उप-खंड (क) के पैराग्राफ (i) और (ii) में विहित शर्तें पूरी करती हैं न कि संपूर्ण उत्पादक स्टेशन।

स्पष्टीकरण :-

(1) कैप्टिव प्रयोक्ताओं द्वारा खपत की जाने वाली अपेक्षित विद्युत का निर्धारण कैप्टिव प्रयोग के लिए अभिज्ञात उत्पादक यूनिट अथवा यूनिटों द्वारा कुल खपत के संदर्भ में किया जाएगा न कि संपूर्ण उत्पादक स्टेशन के सदंर्भ में ; और

(2) उत्पादक स्टेशन में कैप्टिव प्रयोक्ता (प्रयोक्ताओं) द्वारा धारित इक्विटी शेयर कैप्टिव उत्पादक संयंत्र के रूप में अभिज्ञात उत्पादक यूनिट अथवा यूनिटों से संबद्ध कंपनी की इक्विटी के समानुपात का छब्बीस प्रतिशत से कम नहीं होगा।

उदाहरण : प्रत्येक 50 मेगावाट की क्षमता वाली दो यूनिटों नामतः 'क' और 'ख' सहित एक उत्पादक स्टेशन में 50 मेगावाट की एक यूनिट नामतः यूनिट 'क' को कैप्टिव उत्पादक संयंत्र के रूप में अभिज्ञात किया जा सकता है। कैप्टिव प्रयोक्ता कंपनी में इक्विटी शेयर का तेरह प्रतिशत से कम (50 प्रतिशत की यूनिट 'क' के समानुपात में छब्बीस प्रतिशत वाली) धारित नहीं करेंगे और कैप्टिव प्रयोक्ताओं द्वारा वार्षिक आधार पर निर्धारित यूनिट 'क' में उत्पादित विद्युत का इक्यावन प्रतिशत से कम खपत नहीं किया जाएगा।

(2) यह सुनिश्चित करना कैप्टिव प्रयोक्ताओं का दायित्व होगा कि ऊपर उप-नियम (1) के उप-खंड (क) और (ख) में उल्लिखित प्रतिशतता पर कैप्टिव प्रयोक्ताओं द्वारा खपत बनाई रखी जाती है और अगर किसी भी वर्ष में कैप्टिव प्रयोग की न्यूनतम प्रतिशतता का पालन नहीं किया जाता है तो उत्पादित संपूर्ण विद्युत को ऐसा माना जाएगा मानों यह किसी उत्पादक कंपनी द्वारा विद्युत की आपूर्ति है।

स्पष्टीकरण :- (1) इस नियम के प्रयोजनार्थ –

(क) **"वार्षिक आधार"**किसी वित्तीय वर्ष के आधार पर निर्धारित किया जाएगा ;

(ख) **"कैप्टिव प्रयोक्ता"** का अर्थ किसी कैप्टिव उत्पादक संयंत्र में उत्पादित विद्युत का अंत प्रयोक्ता होगा और "कैप्टिव प्रयोक्ता" शब्द का तदनुसार अर्थ माना जाएगा ;

(ग) किसी उत्पादक स्टेशन अथवा किसी कंपनी या किसी अन्य निगमित निकाय द्वारा स्थापित विद्युत संयंत्र के संबंध में **"स्वामित्व"** का अर्थ मताधिकार के साथ इक्विटी शेयर पूंजी होगा। अन्य मामलों में स्वामित्व का अर्थ उत्पादक स्टेशन अथवा विद्युत संयंत्र पर मालिकाना हित और नियंत्रण होगा ;

(घ) **"विशेष प्रयोजन साधन"** का अर्थ किसी उत्पादक स्टेशन का स्वामित्व रखने, प्रचालित करने और अनुरक्षण करने वाला कानूनी संगठन होगा और इस कानूनी संगठन द्वारा कोई अन्य व्यवसाय अथवा कार्यकलाप नहीं किया जाएगा।

4. **वितरण प्रणाली :** अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (19) के अनुसार वितरण लाइसेंसधारी की वितरण प्रणाली में विद्युत लाइन, सब-स्टेशन और विद्युतीय संयंत्र भी शामिल होंगे, जिनका प्राथमिक तौर पर इस बात पर ध्यान दिए बिना कि ऐसी लाइन, सब-स्टेशन अथवा विद्युतीय संयंत्र उच्च दाब केबल अथवा ऊपरी लाइनें हैं अथवा ऐसे उच्च दाब केबलों अथवा ऊपरी लाइनों से संबद्ध हैं; अथवा अन्यों के लिए विद्युत पारेषित करने के प्रयोजनार्थ आनुषंगिक प्रयोग किया जाता है, ऐसे वितरण लाइसेंसधारी के आपूर्ति क्षेत्र में विद्युत वितरण करने के प्रयोजनार्थ रख-रखाव किया जाता है।

5. **पारेषण लाइसेंसधारी द्वारा दिए निर्देशों का अनुपालन :**

(1) राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र,क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र, जैसा भी मामला हो ; अथवा राज्य भार प्रेषण केन्द्र अधिनियम की धारा 40 के खंड (ख) के साथ पठित धारा 26, धारा 28 की उप-धारा (3) ; धारा 29 की उप-धारा (1), धारा 32 की उप-धारा (2) और धारा 33 की उप-धारा (1) के अधीन ऐसे निर्देश दे सकते हैं, जिन्हें वे किसी पारेषण लाइसेंसधारी की पारेषण प्रणाली की उपलब्धता बनाए रखने के लिए उपयुक्त समझें और पारेषण लाइसेंसधारी ऐसे सभी निर्देशों का विधिवत पालन करेगा।